तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सुरजमल बनाम रामलाल** **अपील संख्या 2022 / 372**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.22	पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने पर निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 0.33 हैक्टयर को प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है। ऐसी में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 स्वीकार किया जाता उचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने प्रस्तुत कर अपील को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रख जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया श्रीमती अनिता गौड डायरेक्टर पी.पी. एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. एफ–279 रोड़ नम्बर 13 वीकेआई एरिया जयपुर को प्रकरण मे बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 संयोजित किया जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने से अपील अपीलान्ट विड्रो / खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त जयपुर	